सामाजिक सशक्तिकरण हेतु स्कीम

क. प्रशिक्षण स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य लक्षित समूह के लोगों को पारंपरिक और तकनीकी पेशा और उद्यमिता के क्षेत्र में उचित तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से समर्थ और आत्मनिर्भर बनाना है। एससीए/संस्था के माध्यम से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्त करने तथा सफलतापूर्वकप्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपना कारोबार शुरू करने के लिए एनबीसी एफडीसी की सामान्य ऋण स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

पात्रता

आवेदक को केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित पिछड़े वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय शहरी क्षेत्र में 1,03,000 रूपये से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 81,000 रूपये से कम होनी चाहिए।

निगम राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित एससीए/प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्ग के सदस्यों से तकनीकीऔरउद्यमिता कौशल को अपग्रेडकरने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण/परियोजना संबद्ध प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस स्कीम के अंतर्गत लक्षित समूह के पात्र युवाओं को विभिन्न उद्योगों/क्षेत्रों की बाजार मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तथा ऐसे लोगों की पारंपरिक शिल्प/कारीगरी कौशल को भी अपग्रेड किया जाता है जिन्होंने ऐसे कार्य/पेशा अपने परिवार से प्राप्त किया है।

एनबीसीएफडीसी ने देश में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ प्रशिक्षण लिंक स्थापित किया है और इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट ट्रेडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

एनबीसी एफडीसी द्वारा वहन खर्च	- प्रशिक्षण लागत का 100 प्रतिशत
अवधि	- छः माह तक

प्रशिक्षण पर व्यय को वास्तविक आधार पर जोड़ा जाता है।

एनबीसी एफडीसी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पीएसयू से सीएसआर निधियां प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं।

निगम कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवधि और पाठ्यक्रम के संदर्भ में डीजीई एण्ड टी के दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए विशेष रूप से उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। लाभार्थियों को अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करने के लिए योग्य बनाने हेतु संभावित लाभार्थियों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एनबीसी एफडीसी ऐसे प्रशिक्षण की 90 प्रतिशत लागत प्रदान करता है जबकि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी प्रशिक्षण खर्च का 10 प्रतिशत योगदान देती है।

ख. मार्केटिंग लिंकेज: निगम इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दिल्ली हॉट और सूरजकुंड क्राफ्ट मेला आदि जैसे देश के अग्रणी मेलों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी करने के लिए अवसर प्रदानकरके लक्षित समूह के कारीगरों को मार्केटिंग प्लेटफार्म प्रदान करता है।